



ISSN 2394-5303

Peer Reviewed International Multilingual Research Journal

Printing Area

Issue-78, Vol-02, July 2021

Printing Area



Editor

Dr. Bapu G. Gholap



आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिये निर्धनता में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

९. भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। इसके लिये हमें अधिकाधिक औद्योगीकरण एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना होगा।

१०. औद्योगिक एवं सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाये जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ अज्ञानता, रुढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा, लोगों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा को व्यवसाय एवं आर्थिक विकास से जोड़ा जाये।

११. निर्धनता और भ्रष्टाचार का चोली-दामन का साथ है इसलिये भ्रष्टाचार और भ्रष्टतंत्र पर हम जितनी जल्दी अंकुश लगा लेंगे उतनी ही जल्दी हम गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।

संदर्भिका

१. वैद्यनाथन, ए०, 'पावर्टी एण्ड डेवलपमेण्ट पॉलिसी', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, मई २६-जून १, २००१.

२. आहलूवालिया, एम०एस०, 'रुल पावर्टी एण्ड एग्रीकल्चरल परफार्मेंस इन इण्डिया', जर्नल ऑफ डेवलपमेण्ट स्टडीज, १९७८.

३. इण्डिया-२००१, मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेलही.

४. इण्डिया-२००२, मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेलही.

५. इण्डिया-२००३, मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेलही.

६. सचिन कुमार जैन, मीडिया फार राईट्स, इण्डिया वाटर पोर्टल (हिन्दी)

७. दोषी, एस०एल० और जैन, पी०सी०, 'भारतीय समाज: संरचना और परिवर्तन', नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, २००२.

(8) Rein Martin, "Problems in the Definition and Measurement of Poverty", in Fewman, Kornbluh and Haber (eds.) Poverty in America, University of Michigan Press, Michigan, 1968.

नीतिग्रन्थों में नारी लोकधर्म की वर्तमान में प्रासंगिकता : एक अध्ययन

डॉ. मूल चन्द

एसोसिएट प्रोफेसर - संस्कृत,
राजकीय लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चूरू

सारांश -

नारी धर्म का शाब्दिक अर्थ नारी कर्तव्य से है। प्राचीन ग्रन्थों में नारी कर्तव्यों का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में है। प्राचीन ग्रन्थों में समाज को पुरुष प्रधान कहा गया है परन्तु महिलाओं के महत्व की बात जहां आती है वहां महिलाओं के सन्दर्भ में कहा जाता है पृथिव्याः मूर्तिः, अर्थात् माता पृथ्वी की मूर्ति है तथा जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। वर्तमान में विश्व जिस भी क्षेत्र में नई उंचाइयों को प्राप्त कर रहा है उस प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है। आज महिलाएं अन्तर्दिशि, foKku] | ४] jk ulfr] IAS, IPS, IFS, RAS, सिनेमा, वैज्ञानिक, रेल, डाक, शिक्षा, पुलिस इत्यादि क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान देकर अपना धर्म निभा रही हैं। समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार इत्यादि घटनाएं भी समय के साथ रफ्तार पकड़ रही हैं। प्राचीन काल में महिलाओं को घर से बाहर रहने की आजादी न के बराबर थी। विदुरनीति में तो यहां तक कहा गया कि जहां महिलाएं शासन करती हैं वहां की प्रजा नदी में पत्थर की नौका पर बैठने वालों के समान विपत्ति के समुद्र में डूब जाती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने धर्म का पालन करना अत्यावश्यक हो जाता है।

मुख्य शब्द - ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्रनीति, विदुरनीति, नीतिशातकम्, कालिदास, समाज, परिवार, धर्म, नारी।

उद्देश्य -

नारीधर्म विषय यद्यपि नया नहीं है तथापि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते समाज में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। समाज में रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। बेटे-बहु समर्थ होते हुए भी उनके माता-पिता वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी व परिवार में मनमुटाव हो रहे हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में पुरुष भी अपना धर्म निभाए तथा नारी भी अपने धर्म का पालन करे। समाज का जो भी सदस्य अपने धर्म का पालन करेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। इस उद्देश्य के साथ नारी शक्ति से यही प्रार्थना है।

विषय विस्तार —

संस्कृत वाङ्मय में नीतिग्रन्थ विश्वप्रसिद्ध हैं। नीतिग्रन्थों में बहुत विषय समाहित हैं। तत्कालिन समाज वर्णव्यवस्था में विभक्त था, प्रत्येक वर्ग यथा ब्राह्मण, क्षैत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने धर्म का पालन करते थे। इसी प्रकार समाज की प्रत्येक इकाई अपने-अपने धर्म का पालन करती थी। यदि कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता था तो दण्ड का भी विधान था। धर्म का शब्दिक अर्थ कर्तव्य ही होता है। सभी अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते थे, परिणामतः अनुशासन व्यवस्था भी प्रायः कायम थी। प्राचीन समाज पुरुष प्रधान था। महिलाओं को आजादी नहीं थी। वर्तमान में महिलाओं व पुरुषों में बराबर दर्जा है, कोई भेदभाव नहीं और यदि महिलाओं के साथ भेदभाव होता भी है तो आन्दोलन या न्यायालयों के माध्यम से अपना अधिकार ले लेती है।

दैनिक भास्कर सीकर रविवार ११ अप्रैल, २०२१ को पृष्ठ संख्या १३ पर समाचार छपा कि महिला को लगे कि वह पुरुष के सपोर्ट बगैर कुछ नहीं तो सिस्टम नाकाम है।

सुलक्षणा स्त्री :-

यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो

याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि।

ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि

सहस्रपोषं सुभगे ररणा।।

अर्थात् यदि सुलक्षणा विदुषी स्त्री श्रेष्ठ विद्वान् जन की पत्नी हो तो धन और सुख की अनेक प्रकार

से प्राप्ति होती है।

नारीधर्म:- यजुर्वेद में भी नारी धर्म के विषय में कहा कि-

लोकं पृण छिद्रं पृणाथो सीद ध्रुवा

त्वम्। इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरास्मिन् योनावसीपदन्।।^१

अर्थात् अच्छी चतुर स्त्री को चाहिए कि घर के कार्यों के साधनों को पूरा करके सब कार्यों को सिद्ध करे। जैसे विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुषों की गृहाश्रम (गृहस्थाश्रम) के कर्तव्य कर्मों में प्रीति हो वैसा उपदेश करें।

न विद्यते पृथक् स्त्रीणां त्रिवर्गविधिसाधनम्।।^२

अर्थात् स्त्रियों के लिए पतिसेवा से अन्य धर्म का निषेध- स्त्रियों के लिए पति की सेवा को छोड़कर अन्य कोई धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धि के लिए साधन नहीं है।

शुक्रनीति के अनुसार स्त्रीलोक धर्म —

नीतिशास्त्रों में कहा कि स्त्री प्रतिदिन पति से पूर्व शय्या से उठकर शरीर शुद्धि करके घर की सफाई करें। रसोई घर के पात्रों को बाहर निकालकर चारों तरफ से खूब मांज धोकर मिट्टी से चुल्ही तथा रसोई घर लीपकर वहां पर अग्नि तथा लकड़ी रख देवे तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था करती रहे।

ताभ्यां भर्त्रा पितृभ्यां वा भ्रातृमातुलबान्धवैः।

वस्त्रालङ्काररत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्।।^३

अर्थात् वह सास श्वशुर, पति, माता-पिता, भाई, मामा, बान्धव (परिवार के लोग) इन सभी से दिये गये वस्त्र अलंकार, रत्न इत्यादि ही धारण करे। मन, वचन तथा कर्म से पवित्र एवं निर्मल रहकर पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली, छाया की भांति अनुगमन करने वाली, हितकर कार्यों में सखी की भांति और बताये हुए कार्यों में दासी की भांति सदा स्त्री को अपने स्वामी के निकट रहना चाहिए। स्त्री भोजन पकाकर पति के सामने रखकर वैश्वदेव से बचे हुए अन्न से भोजन कराने योग्य लोगों को भोजन करावे।

पतिं च तनदुज्ञाता शिष्टमन्नाधमात्काका।

युक्त्वा नयेदहः शेषं सदाऽऽभव्ययचिन्तया।।^४

अर्थात् पति को भोजन कराने के बाद उनकी

आज्ञा लेकर बचे हुए अन्नादि को स्वयं भोजन कर सदा आय तथा व्यय का विचार करते हुए दिन के अवशिष्ट भाग को बितावे।

स्त्री का धर्म है कि वह घर की प्रातः तथा सायं सफाई करके भोजन बनाकर साध्वी स्त्री भृत्यों के सहित पति को भोजन करावे।

पुनः सायं पुनः प्रातर्गृहशुद्धि विधाय च।
कृतान्नसाधना साध्वी सभृत्यं भोजयेत् पतिम्।¹⁶

स्त्री पति के सो जाने पर स्वयं भी शयन करे। किसी वस्तु की कामना न करे। इन्द्रियों को अपने वश में रखे नोच्यैवदेन परुषं न अर्थात् उच्च स्वर में बात न करे। न कठोर स्वर से बोले न किसी को बार-बार पुकारे न अप्रिय वचन कहे न किसी के साथ विवाद करे, न निरर्थक वचन बोले इत्यादि।

एवं परिचरन्ती सा पतिं परमदैवतम्।
यशस्यमिह यात्येव परत्रैषा सलोकताम्।¹⁷

अर्थात् यथोक्त पति सेवा से पतिलोक तथा परलोक प्राप्त करती है। वह पति को ही परम देवता मानकर परिचर्या करती हुई इस लोक में सुन्दर यश तथा परलोक में पति लोक को प्राप्त करती है।

प्रतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्य -

सङ्गीतैर्मधुराऽऽलापैः स्वायत्तस्तु पतिर्यथा।
भवेत्तथाऽऽचरेयुर्वै मायाभिः कामकेलिभिः।¹⁸

अर्थात् पति जिस प्रकार अपने अधीन हो सके उसी प्रकार से गाना-बजाना, मधुर बातचीत, मोहित करने वाली कामक्रीड़ा इत्यादि का आचरण करना स्त्रियों के लिए उचित है।

इसी सन्दर्भ में अथर्ववेद में भी कहा है- हे पति देव! आपका मन मुझे चाहे-

माननु प्र ते मनः।¹⁹

जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाम्।²⁰

अर्थात् पत्नी पति के प्रति मीठी और शान्ति देने वाली वाणी ही बोले।

अन्तः कण्ठुष्व मां हृदि।²¹

अर्थात् हे पतिदेव! हे देवि! मुझे अपने हृदय मन्दिर में बैठा लो।

मन इन्नौ सहासति।²²

अर्थात् पति पत्नी हम दोनों के मन अथवा

हृदय सदा मिले रहें।

स्त्री स्पर्श का निषेध-

एषु स्पर्शो वरस्त्रीणां स्वान्तहारी मुनेरपि।

अतोऽप्रमतः सेवेत विषयांस्तु यथोचितान्।²³

अर्थात् उत्तम सुन्दरियों का स्पर्श सत् असत् का विचार करने वाले मुनियों के भी मन को हरण करने वाला होता है अतः असावधानी न रखते हुए यथोचित रीति से उक्त विषयों का सेवन करना चाहिए क्योंकि अधिक सेवन से विनाश होता है।

वर्तमान में महिलाओं के नाम के भी संक्षिप्त नाम और निकाल लेते हैं परिणामतः आपस में सम्बोधन करते समय पता ही नहीं चलता की महिला व पुरुष का क्या सम्बन्ध है जबकि प्राचीन ग्रन्थों में इस बात का निषेध है और कहा कि किसी भी महिला को नाम से सम्बोधन न करें। यदि सम्बोधन करना पड़े ते भगिनि! सुभगे! भवती! इत्यादि नामों से पुकारने हेतु कहा है। यथा- स्वीया तु परकीयां वा सुभगे भगिनीति च।²⁴

स्त्री व पुरुष समानता- ११ अप्रैल, २०२१ दैनिक भास्कर में खबर छपी और समाचार भी समानता को लेकर ही था। सरकार योजनाएं बनाए तथा कोर्ट ने अपने फैसले में अकेली मां और उनके प्रति समाज के रवैये को लेकर अहम टिप्पणी की। फैसले के साथ अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य इन सिंगल मदर्स के सहयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करे। जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस डॉ. कोसर एटप्पागाथ की पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अनीता (बदला हुआ नाम) की सिंगल मां के मामले में यह बात कही। जबकि नीतिशास्त्रों में नारी के साथ विवाद करने हेतु मना किया गया।

यथा- न कुर्यात् स्त्रीबालवृद्धमूर्खेषु च विवादनम्।²⁵

अर्थात् स्त्री, बालक, वृद्ध या मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना।

स्वातन्त्र्य का निषेध-

भूमण्डलीकरण के दौर में शिक्षा का निसंकोच समाज के हर वर्ग पर प्रभाव पड़ा है परन्तु इसके साथ-साथ जितनी आजादी मिली है वह आजादी महिलाओं के लिए घातक भी होती जा रही है फिर

चाहे वह दिल्ली की निर्भया हो या उत्तरप्रदेश की शिक्षिका हो। आज प्रत्येक क्षण महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे प्राचीन नीति ग्रन्थों में महिलाओं की आजादी को पूर्णतः निषेध मानते हैं और कहते हैं—
स्वातन्त्र्य न क्षणमपि हयावासोऽन्यगृहे तथा।^{१९}

अर्थात् महिला को एक क्षण भी स्वतंत्रता का निषेध कहा है।

लिव इन रिलेशनशिप—

लिव इन रिलेशनशिप को आधुनिक युग में भले ही समाज मान्यता न दे परन्तु पश्चिमी देशों में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है तथा वर्तमान में हमारे देश में भी इसका प्रचलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है यद्यपि समाज इसको प्रायः स्वीकार नहीं करता परन्तु न्यायालय ने इसको सही करार देते हुए इसको मान्यता दे दी है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना हो तो उसे विवाहित जोड़े से पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अकेली मां के लिए लागू प्रक्रिया का पालन किया गया था। यह कानूनी रूप से अस्थिर है क्योंकि बच्चे को एक विवाहित जोड़े से पैदा बच्चे के रूप में माना जाता है।

विहारं चैव स्वस्त्रीभिवैश्याभिर्न कदाचन।^{२०}

अर्थात् परिवार में युवती है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि सभी उसको अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवायें, उसे अच्छे संस्कार दें। पर पुरुष से कैसे रक्षा करें यह बात परिवार उस तरुणी को बताए। युवती को एहसास भी न हो और उसका सुरक्षा चक्र भी न टूटे। परिवार की जिम्मेदारी है कि तरुणी युवती को अकेली न छोड़े।

स्त्रियों की रक्षा—

वर्तमान में जिस तरह का वातावरण है इसमें मानवीयता कहीं दिखाई नहीं देती। महिला प्रायः अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है। दूध मूही बच्ची से लेकर ८० वर्ष की महिला भी अपने आपको सुरक्षित नहीं मानती है। एक समय था जब गांव की बेटी को सभी बेटी ही मानते थे परन्तु आज हाथ को हाथ खाने लग गया है। प्रायः हर रोज महिलाओं के

साथ ज्यादाति के समाचार देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु कहा—
त्यक्त्वान् दुर्गुणान् यत्नात्ततो रक्ष्याः स्त्रियो नरैः।^{२१}
अर्थात् माता, स्त्री का सम्मान करें।

इस देश में महिला का प्राचीन समय से ही सम्मान होता रहा है। यहां नारी को देवी के समान पूजनीय माना है और कहा—
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया।^{२२}

अर्थात् जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा आदर सत्कार) होती है उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं तथा जिस कुल में इन (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती है उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं, अतः स्त्रियों का अनादर कभी न करें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए।

चरित्र—

नारी चरित्र को लेकर भर्तृहरि की एक मान्यता के अनुसार स्वयं राजा से योगी बन गये। जनश्रुति के अनुसार एक ब्राह्मण ने राजा को अमर फल दिया कि जो उसे खायेगा वह अमर हो जायेगा। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया कि वह चिरकाल तक अनन्त यौवन बनी रहे। रानी ने वह फल एक वरिष्ठ कर्मचारी को दे दिया। उस कर्मचारी ने वह फल नगर में रहने वाली किसी वैश्या को दे दिया। वैश्या ने वह फल लाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा उस फल को देखकर विरक्त हो जाते हैं और योगीराज हो जाते हैं तथा राजा ने कहा—

चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता,
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः।
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिच्छन्या,
धिक् तां च तं च मदं च इमां च माम् च।^{२३}

अर्थात् मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं, वह स्त्री मुझ पर विरक्त है अर्थात् वह मुझसे अनुराग नहीं रखती अपितु उदासीन है तथा वह स्त्री भी अन्य पुरुष को चाहती है, पर वह पुरुष अन्य नायिका पर आसक्त है, कोई अन्य स्त्री मेरे लिए अनुराग रखती है। अतः उस स्त्री को, उस मनुष्य को, कामदेव को, इस स्त्री और मुझको धिक्कार है।

जब कोई किसी पर सच्चा अनुराग नहीं रखता तो ये सब धिक्कार के पात्र है। आजकल समाज में इसी कारण से रिश्ते टूटते नजर आ रहे हैं। कई महिलाएं तो ३-४ बच्चों की मां भी प्रेमजाल में फंसकर अपने बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। तो यह सिलसिला कोई नया तो नहीं परन्तु यह समाज के लिए एक अच्छा मैसेज भी नहीं कह सकते।

हमारेही शास्त्रों में लोकधर्म के सन्दर्भ में कहा कि—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥^{१९}

अर्थात् जिस कुल में स्त्री से पति तथा पति से स्त्री सन्तुष्ट रहती है उस कुल में अवश्य ही सर्वदा कल्याण होता है।

और भी कहा— अन्नपानजिता दाराः सफलं तस्य जीवितम्॥^{२०}

अर्थात् स्त्रियां अन्न-पान के द्वारा वशीभूत हो गयी है उसका जीवन सफल है।

नारी शिक्षा—

आजकल महिलाओं में प्रायः व्यावहारिक समझ कम होने से पारिवारिक समस्याओं का समाना करना पड़ता है। संस्कारों का अभाव रहता है। अच्छी शिक्षा देने वाले बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में इसे में अनेकानेक समस्याएं आती रहती हैं। इस सन्दर्भ में वेद में कहा है कि—

नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे

दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी।

शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो

नो बृहद्वेदेम विदथे सुवीरः॥^{२१}

अर्थात् हे विद्वानों! जो धर्मात्मा विदूषी व पण्डितानी स्त्रियां हों, उनसे सब कन्याओं को सुन्दर शिक्षा दिलाओ, जिससे कार्य— विनाश न हो।

तरूणी को पराधीन करने का निषेध—

समाचार पत्रों में प्रायः प्रत्येक दिन महिला अत्याचार, शोषण, बलात्कार, तलाक इत्यादि से सम्बन्धित सूचनाएं छपती रहती हैं। ०२.०४.२०२१ पृष्ठ सं. ०३ दैनिक भास्कर में खबर छपी, नशीला

पदार्थ खिला वीडियो बना युवती का दो साल तक किया शोषण। ०३.०४.२०२१ दैनिक भास्कर में समाचार छपा युवती को भगा ले गए व खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर दुष्कर्म किया। दो बच्चियों का अपहरण, १० साल की मासुम से दुष्कर्म, रात को गेस्ट हाउस में रोककर वहीं दुष्कर्म किया। ०९.०४.२०२१ को दैनिक भास्कर में न्यूज छपी की किशोरी से मोलवी ने दुष्कर्म किया। कुए में धकेला इत्यादि समाचार अखबरों में प्रायः आये दिन छपते रहते हैं।

भारतीय समाज में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ है वैसे-वैसे शिक्षा के साथ विकृतियों ने भी अपना दायरा बढ़ लिया है क्योंकि शिक्षा के साथ-साथ समाज के हर वर्ग यथा महिला, पुरुष, युवक युवती में एक सोच का दायरा भी बढ़ जाता है साथ ही खुलापन भी देखने को मिलता है और यदि युवतियों को खुलापन, स्वतंत्रता आदि मिलेगी तो इस प्रकार की घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन संस्कृत नीति ग्रन्थ कभी-भी तरूणियों को स्वतंत्र रहने की आजादी नहीं देते हैं। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का दौर है, मीडिया भी प्रायः महिलाओं के साथ खड़ा नजर आता है। प्रायः सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं और होना भी चाहिए। महिलाओं के विकास का कोई विरोध नहीं करता सभी उनका साथ देते हुए ही दिखते हैं परन्तु यदि किसी भी चीज की अति होती है तो उसका विनाश भी होना शुरू होता है। इसके कारण जो भी रहे हैं परन्तु समाज व परिवार के सदस्य यदि जागरूक रहे तो उपर्युक्त घटनाओं पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। नीतिग्रन्थ कहते हैं— पराधीनं नैव कुर्यात्तरूणीधनपुस्तकम्।

कृतं चेल्लभ्यतै दैवाद् भ्रष्टं नष्टं विमर्दितम्॥^{२२}

अर्थात् अपनी तरूणी स्त्री, धन या पुस्तक को किसी दूसरे के अधीन नहीं कर देना चाहिए। यदि कर दिया जाय तो दैवात जब उनकी पुनः प्राप्ति होती है तो तरूणी स्त्री संभोग के द्वारा भ्रष्ट की हुई रहती है। अतः इनको किसी को नहीं सौंपे। इस प्रकार प्रसंग बहुत हैं परन्तु पत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए संकेत के रूप में ये प्रसंग दिये हैं। यदि समाज में इनका प्रचार प्रसार हो तो अत्याचार, बलात्कार इत्यादि घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

निष्कर्ष —

समाज में हर तरह के इन्सान मिलते हैं। इस

पृथ्वी पर पापी भी रहते हैं तथा धर्मात्मा भी रहते हैं स्त्रियों का मान-सम्मान करने वाले भी यहीं रहते तथा दुष्कर्म, अत्याचार इत्यादि करने वाले पुरुष व महिला भी यही रहते हैं। हम इस प्रकार के पुरुषों को समाज से तो पृथक् नहीं कर सकते परन्तु इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में इनसे बचे रहने के लिए लोकधर्म का पालन करना ही महिला का सबसे बड़ा कवच है। नारी व पुरुष एक-दूसरे पर विश्वास रखें क्योंकि विश्वास पर रिश्ते टिके हुए हैं। सभी सुपथ पर चलें तो सभी का कल्याण हो सकता है।

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।

पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि।।^{२५}

अर्थात् हम सभी लोग सूर्य और चन्द्रमा के सदृश सुख मार्गों के अनुगामी हों और फिर दान करने और नाश नहीं करने वाले विद्वान् के साथ मिलें अर्थात् सज्जनों के साथ समागम कीजिए।

सन्दर्भ सूची —

१. ऋग्वेद २.३२.५
२. यजुर्वेद १५.५९
३. शुक्रनीति
४. शुक्रनीति ४.११-१२
५. शुक्रनीति ४.१५
६. शुक्रनीति ४.१६
७. शुक्रनीति ४.२२
८. शुक्रनीति ४.२८
९. अथर्ववेद ३.१८.६
१०. अथर्ववेद ३.३०.२
११. अथर्ववेद ७.३६.१
१२. अथर्ववेद ७.३६.१
१३. शुक्रनीति ३.१८
१४. शुक्रनीति ३.१९
१५. शुक्रनीति ३.५३
१६. शुक्रनीति ३.२१
१७. शुक्रनीति ३.११४
१८. शुक्रनीति ३.२२४
१९. मनुस्मृति ३.५६
२०. नीतिशतकम् परिशिष्ट ०१
२१. मनुस्मृति ३.६०
२२. विदुरनीति ७.८२
२३. ऋग्वेद २.१७.९
२४. शुक्रनीति ३.२२६-२२७
२५. ऋग्वेद ५.५१.१५